संख्या-13/2019-728/81-4-2019-02(बजट)/2018

प्रेषक,

आशीष तिवारी,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक: 20 सितम्बर, 2019

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित- ''सब मिशन आन एग्रो फारेस्ट्री'' योजना के अंतर्गत अनुदान संख्या-83 में आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 136.56 लाख की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या पी-107/36-बी-8(सब मि0), दिनांक 25.07.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22-03-2019 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अनुदान संख्या-83- के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित''सब मिशन आन एग्रो फारेस्ट्री'' के अंतर्गत आय-व्ययक धनराशि रू0 3873.17 लाख के सापेक्ष्य रू0 1366.56 लाख (ddddddfgfgएक करोड छत्तीस लाख छप्पन हजार मात्र) की स्वीकृति निम्नलिखित लेखाशीर्षकों के अन्तर्गत निम्न शर्तों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

लेखाशीर्षक	धनराशि (रू0 लाख में)
अनुदान संख्या-83-	
राजस्व लेखा-	
2406-वानिकी तथा वन्य जीव-	
01-वानिकी	
789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	
01-केन्द्र प्रायोजित योजनाए	
0101-सब मिशन ऑन एग्रो फारेस्टी (के. 60/रा0 40-के. + रा)	
04-यात्रा व्यय	**0.30**
08-कार्यालय व्यय	**0.24**
15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	**0.24**
20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	**3.44**
योग-राजस्व	**4.22**
पूंजी लेखा-	
4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय-	
01-वानिकी	
789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	
01-केन्द्र प्रायोजित योजनाए	
0101-सब मिशन ऑन एग्रो फारेस्टी (के. 60/रा0 40-के. + रा)	
24-व्रहत निर्माण कार्य	**55.65**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

42-अन्य व्यय	**76.04**
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	**0.65**
योग-0129	**132.34**
योग:-राजस्व लेखा	**136.56**

(ddddddfgfgfएक करोड छत्तीस लाख छप्पन हजार मात्र)

1- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। अतः जिस व्यय के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के अंतर्गत नियमावलियों में अथवा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा शासन के वर्तमान आदेशानुसार शासन की अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति लिया जाना अपेक्षित है, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यतः प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज वित्तीय नियमों के अधीन ही किया जाय। योजनान्तर्गत वाहनों के क्रय के पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सी0ए0-1132/दस-2004-मित-1/2004, दिनांक 07-01-2005 तथा शासनादेश संख्या-सी0ए0-1191/दस-2009-मित-1/2007, दिनांक 26-10-2009 एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वीकृत तथा चालू योजनाओं पर ही किया जाय और किसी भी दशा मे इस धनराशि का उपयोग नयीं मदों के क्रियान्वयन के लिए नहीं किया जाय।

3- किसी योजना में व्यय अनुमोदित परिव्यय से अधिक न हो। इस सम्बन्ध में शासन के तत्सम्बन्धी निर्देशों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। भारत सरकार द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं में अनुमोदित वाहन,उपकरण आदि क्रय स्टोर परचेज नियमों के अनुसार किया जायेगा तथा क्रय से पूर्व शासन अथवा सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

4- भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्राश से कराये जाने वाले आदि का निर्माण कार्यों के विस्तृत आगणन प्राप्त कर उनका सक्षम स्तर द्वारा अनुमोदन प्राप्त कर ही धनराशि का व्यय किया जायेगा।

5- भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रीय सहायता के उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथा समय भारत सरकार तथा शासन को उपलब्ध कराये जायेगें तथा भारत सरकार को प्रेषित केन्द्रीय सहायता के अनुसार भारत सकरार से केन्द्रीय सहायता प्राप्त किये जाने हेतु प्रभावी अनुश्रवण किया जाय, जिससे केन्द्रीय सहायता वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राप्त हो जाय।

6- व्यय को मानकों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय-सारिणी निश्चित कर दी जाय तथा प्रत्येक माह की समाप्त पर व्यय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया जाय।

7- अवमुक्त धनराशि का समय से योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु साख-सीमा अवमुक्त किये जाने की समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ताकि धनराशि समय पर उपलब्ध रहें।

8- स्वीकृति धनराशि का उपयोग प्रश्नगत योजना हेतु भारत सरकार के निर्देशों/प्रतिबन्धों के अधीन अनुमोदित कार्यमदों के अन्तर्गत ही व्यय किया जायेगा।

9- स्वीकृति धनराशि का व्यय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-पी-107/36-बी-8 (सब मि0), दिनांक 25-07-2019 में उल्लिखित कार्यमदों के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

10- उक्त के अतिरिक्त योजना के क्रियान्वयन के समय भारत सरकार एवं उप्र शासन द्वारा निर्गत सभी सुसंगत वित्तीय नियमों/निर्देशों का अनुपलान भी सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के व्यय के पूर्व नियमानुसार सभी औपचारिकताएं पूर्ण किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

11-प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ0प्र0 यह सुनिश्चित करेगें की प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकि स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष होगी।

12- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उप्र यह भी सुनिश्चित करेगें कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

13- प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग निम्नानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

14- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उप्र यह भी सुनिश्चित करेगें कि प्रस्तावित कार्यों की द्वविराव्रत्ति नहीं हो रही है।

15- अवमुक्त धनराशि का आरहरण व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

16- प्रश्नगत योजनान्तर्गत/ कार्य के अन्तर्गत हुई प्रगति/व्यय की सूचना/विवरण एवं नवीनतम चित्र विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करते हुए इसे विभागीय वेबसाईट पर एक अतिरिक्त बिन्दु के रूप में इंगित किया जाय तथा इसकी सूचना शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाय।

17- समस्त विधिक पहलुओं पर आश्वस्त होते हुए समस्त वैयानिक स्वीकृतियां सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करने तथा अन्य सम्बन्धित विभागों से यथा-आवश्यक अनुमति/सहमति नियमानुसार प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

18- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उप्र द्वारा वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च, 2019 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

19- योजनान्तर्गत कार्यों हेतु ई-टेण्डरिंग विषयक समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय एवं समस्त कार्य सम्बन्धित कार्य जी.ई.एम. पोर्टल के माध्यम से किया जाय।

20- उक्त के अतिरिक्त वर्तमान में प्रभागीय समस्त औपचारिकताओं एवं सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

21- यह आदेश यह वित्त विभाग के आशासकीय पत्र संख्या-ई-7-701/दस-2019 दिनांक 18-9-2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

आशीष तिवारी
विशेष सचिव,

संख्या- 728(1)/81-4-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. महालेखाकार द्वितीय उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, कार्यालय-प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
7. वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।
8. नियोजन अनुभाग-3
9. अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(डॉ0 दीपक कोहली)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।